संख्या-277/2026/790/22-2-2025-17(738)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 20 मार्च,2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेज सिंह पुत्र श्री हरी सिंह उर्फ हरिया, निवासी जनपद-आगरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-10870/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 24-02-2025, दिनांक 05.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी तेज सिंह पुत्र श्री हरी सिंह उर्फ हरिया, कठवारी, थाना-अछनेरा, जनपद-आगरा का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 13.08.2014 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक से गोली मारकर बृजेश नामक व्यक्ति को घायल कर दिया जिसकी इलाज के दौरान दिनांक 18.08.2014 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-804, 809/2014 में भा०द०वि० की धारा- 302/34 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-15 आगरा के दण्डादेश दिनांक 09.02.2021 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.07.2024 तक अपरिहार 04 वर्ष, 06 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 04 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस उपायुक्त, आगरा द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी के रिहा होने पर गाँव व समाज में जातीय संघर्ष की प्रबल सम्भावना होने, बन्दी आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा भविष्य में अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध में संलिप्त होने की आशंका से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई से समाज में माहौल खराब होने की आशंका के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा पुलिस उपायुक्त, आगरा की आख्या से सहमत होते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेज सिंह (बन्दी संख्या-18171) पुत्र श्री हरी सिंह उर्फ हरिया, निवासी जनपद-आगरा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-277/2026/790(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।